

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3349
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

वकीलों पर कोविड-19 का प्रभाव

3349. श्री श्रीधर कोटागिरी :

श्रीमती चिंता अनुराधा :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 के कारण देश के न्यायालयों की कार्यवाही ऑनलाइन होने के बाद वकीलों पर पड़े इसके प्रभाव का आकलन करने संबंधी कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार की आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वाईएसआर लॉ नेस्थम योजना की तर्ज पर वकीलों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)**

(क) : इस मंत्रालय/विभाग द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ख) : जी नहीं, वर्तमान में, इस मंत्रालय/विभाग के समक्ष ऐसी कोई स्कीम विधाराधीन नहीं है ।
